# न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

**उपस्थितः संजय सिंह–I (एच0जे0एस0)**

**फौजदारी निगरानी संख्या 106 सन् 2026,**

01. मनफूल पुत्र खेम सिंह
02. हरफूल पुत्र खेम सिंह
03. नरेश पुत्र खेम सिंह
04. सुनीता पत्नी हरफूल
05. संध्या पत्नी मनफूल

समस्त निवासीगण ग्राम गडाना थाना ककोड जिला बुलन्दशहर

**.....निगरानीकर्ता।**

**बनाम,**

1. उत्तर प्रदेश सरकार।
2. चन्द्रसेन पुत्र हरकेश
3. तेज सिंह पुत्र हरकेश

**..... विपक्षीगण।**

## निर्णय

**01.** प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर द्वारा परिवाद संख्या 289 सन् 2025 चन्द्रसैन आदि बनाम मनफूल आदि अन्तर्गत धारा 115(2), 351(2), 352 बी०एन०एस थाना ककोड जिला बुलन्दशहर में अभियुक्तगण मनफूल, हरफूल, नरेश, सुनीता व संध्या के विरुद्ध तलबी आदेश दिनांकित 21.02.2026 के विरुद्ध योजित की गई है।

**02.** निगरानीकर्तागण द्वारा अपनी निगरानी में मुख्य रूप से आधार लिये गये हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा तलबी आदेश दिनांक 21.02.2026 आंशिक रुप से कानून व तथ्यों के विरुद्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा तलबी आदेश पारित करते समय पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन नही किया गया है। निगरानीकर्तागण के विरुद्ध उपरोक्त परिवाद में कोई भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र साक्षी नही है जो भी साक्षी परिवादीगण द्वारा न्यायालय में परिक्षित कराये गये है जो परिवादीगण स्वयं है। परिवादीगण निगरानीकर्तागण की भूमि में रखे कूढी बोगा को जबरन हटाना चाहते थे यहां तक कि परिवादीगण ने आपस में साज करके निगरानीकर्तागण के विरुद्ध एक सिविल वाद संख्या 127/2024 चन्द्रसैन बनाम श्रीमती कृपाली आदि दायर किया जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। इन कथनों के आधार पर निगरानी स्वीकार कर विद्वान विचारण द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

**03.** समर्थन में शपथपत्र, प्रश्नगत आदेश दिनांकित 21.02.2026,प्रार्थनापत्र 175(4) बी०एन०एस की छायाप्रति आदेश पत्रक़ मूलवाद संख्या 127/2024 चन्द्रसैन बनाम श्रीमती कृपाली आदि का वादपत्र सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गई है।

**04.** विपक्षीगण की ओर से कथन किया गया है कि प्रस्तुत निगरानी विद्वान

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.08.04 17:25:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध असत्य तथ्यों के आधार पर दायर किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, निगरानीकर्ता द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर फौजदारी निगरानी प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

**05.** उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं निगरानी पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

**—:: निष्कर्ष ::—**

**06.** प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी/विपक्षीगण संख्या 02 व 03 द्वारा विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(4) बी०एन०एस प्रस्तुत कर कथन किया है कि परिवादीगण/विपक्षीगण चन्द्रसेन एवं तेज सिंह अपनी पैतृक भूमि (खसरा संख्या 187स एवं 188स, ग्राम गडाना, तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर) के सह–स्वामी हैं। वर्ष 2021 में उन्होंने अभियुक्तगण हरफूल एवं मनफूल को केवल अस्थायी रूप से कुड़ी डालने की अनुमति दी थी, किन्तु निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण ने आज तक भूमि खाली नहीं की और उस पर अवैध कब्जा बनाए रखा है। जब परिवादी/विपक्षीगण ने भूमि खाली करने को कहा तो अभियुक्तगण ने मना करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में परिवादी द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), बुलन्दशहर के न्यायालय में मूल वाद संख्या 127/2024, चन्द्रसेन बनाम हरफूल आदि दाखिल किया गया, जिसमें अभियुक्तगण/निगरानीकर्ता उपस्थित होकर लिखित बयान भी प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके बावजूद वे लगातार परिवादी/विपक्षीगण संख्या 02 व 03 को गाली–गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देते रहे। दिनांक 05.09.2024 को अभियुक्तगण ने परिवादी/विपक्षीगण को परिवादी की भूमि पर लगे पेड़ काटने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्होंने लाठी–डंडों से परिवादी एवं उनके परिवार पर हमला किया, जिसे मोहल्ले के लोगों ने बीच–बचाव कर शांत कराया। इसके बाद 20.10.2024 को परिवादी की 70 वर्षीय माता ढकेला देवी जब अपने प्लॉट पर गईं तो अभियुक्तगण सुनीता, संज्ञा एवं नरेश ने धान के पूलों को बाहर फेंक दिया था। विरोध करने पर उनके साथ गाली–गलौज की गई, धक्का देकर गिरा दिया गया, जिससे उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें आईं तथा उन्हें अपमानित कर प्लॉट से भगा दिया गया। सूचना पर पुलिस (112) मौके पर आई, किन्तु केवल समझाकर चली गई और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। पुलिस के जाने के बाद अभियुक्तगण ने पुनः परिवादी एवं उनके परिवार के साथ मारपीट की तथा मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने, ट्रक से कुचलवाने तथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दीं।

**07.** परिवादीगण ने स्वंय को 223 बी०एन०एस०एस में एव नरेश कुमार को धारा 225 बी०एन०एस०एस में परीक्षित कराया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित थाने से धारा 202 (1) द0प्र0सं0 में जॉच कराकर अख्या मंगायी गयी। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 21.02.2026 को अभियुक्तगण मनफूल, हरफूल, नरेश, सुनीता व संध्या को धारा 115(2), 351(2), 352 बी०एन०एस० के अपराध में विचारण हेतु जरिये समन तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

08. **धारा 115(2) बी०एन०एस०** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि **स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड**–उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 122 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा।

**धारा 352 बी०एन०एस०** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि **लोक–शान्ति भंग कराने प्रकोपित करने के आशय स साशय अपमान**–जो कोई किसी व्यक्ति को साशय

अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक–शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

**धारा 351(2) बी०एन०एस०** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि **आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड–**जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा।

09. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **चन्द्र बाबू बनाम राज्य (2015) 8 एस.सी.सी. 774, संजय सिंह रामराव चवन बनाम दत्तात्रेय गुलाबराव फाल्के एवं अन्य (2015) 3 एस.सी.सी. 123, विनय त्यागी बनाम इरशाद अली (2013) 5 एस.सी.सी. 762, सुशान्ता डे बनाम बबली मजूमदार ए. आई.आर 2019 एस.सी. 1661** तथा **अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र (2012) 9 एस.सी.सी. 460** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि–

"Normally, revisional jurisdiction should be exercised on a question of law and the jurisdiction u/s 397 CrPC is very limited one but Revisional court can interfere with the findings of fact of the lower court only when the same is perverse and the finding recorded by the lower court are based on no evidence, material evidence has been ignored or judicial discretion has been exercised arbitrarily or perversely. It has also been held that matter Should not be remanded to the lower court when sufficient material for deciding the case finally is already there before the revisional/ appeallate court."

**10.** तलबिदा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी संख्या 1/विपक्षी चन्द्रसेन पुत्र हरकेश द्वारा अपने ब्यान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० में कथन किया गया है कि दिनांक 20.10.2024 को सुबह 08:30 बजे उसकी माताजी ढकैला देवी प्लॉट पर गई थीं। वहां हरफूल, सुनीता, संज्ञा, नरेश व मनफूल वहां प्लॉट पर खड़े थे। इनमें संज्ञा व सुनीता ने उसकी मां के साथ मारपीट की। 100मी०–150 मी० दूरी पर घर है। साक्षी, मां को बचाने गया तो उसके साथ हरफूल, मनफूल व नरेश ने मारपीट की। उन्हें बचाने नरेश पुत्र रामलाल और भी कई लोग आये, हमने 112 पर कॉल की। इन लोगों ने परिवादी का प्लॉट कब्जा रखा है, उसी की लड़ाई है। हमारे बीच सिविल मामला लम्बित है। वह थाने गया लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसी दिन फिर से यही पांच लोग आये लगभग 09:30 बजे उसके घर आये और हमें धमकी दी कि अगर केस किया तो जान से मार देंगे। उसकी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है, एस०एस०पी० साहब को पत्र भी लिखा था।

परिवादी सं० 2/विपक्षी तेज सिंह पुत्र हरकेश द्वारा अपने ब्यान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० में कथन किया गया है कि दिनांक 20.10.2024 को उसके पास उसके भाई चन्द्रसेन का फोन लगभग सुबह 08:30 बजे आया था। उसने उसे बताया कि उनकी माता के साथ हरफूल, मनफूल, सुनीता, संज्ञा, नरेश ने मारपीट करदी है। परिवादी के प्लॉट पर मारपीट हुई थी, वहां से फोन आया था। वह तुरन्त पहुंचा तब तक उसके भइया चन्द्रसेन माताजी को लेकर अपने घर के पास तक पहुंच चुके थे। उसकी माता सुबह प्लॉट पर घूमने गई थीं, तो वहां पर पहले से उपरोक्त लोग मौजूद थे। इन लोगों ने उनके प्लॉट से उनके धान के पूले फेंक दिये थे। उसकी माता जी को बेइज्जत किया व मारपीट करी, धक्का मारकर गिरा दिया। माताजी के चोटें आईं थीं, खून नहीं निकलता था। माताजी ने शोर मचाया तो पड़ोसी नरेश पुत्र रामलाल पहुंचा उसने देखा कि मां को मार रहे हैं तो भाई को आवाज लगाई, भाई घर पर थे तो भाई वहां पहुंचे। पुलिस आई थी, कोई कार्यवाही नहीं करी। पुलिस के जाने के बाद ये लोग फिर से उसके भाई चन्द्रसेन के घर आये, वह भी वहीं था। धमकी दी कि एफ०आई०आर० कराई तो जान से मार देंगे। उनकी मम्मी ने कुछ जमीन कृपाली पत्नी खेमसिंह को प्रयोग करने के लिये दे दी थी, जब उन्होने जमीन खाली करने को कहा तो उनकी जमीन खाली नहीं कर रहे। सिविल कोर्ट में केस डाला हुआ है, जो विचाराधीन है।

**11.** पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–01 नरेश

कुमार ने बयान अन्तर्गत 225 बी.एन.एस.एस (धारा 202 द0प्र0सं0) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त साक्षी ने भी उक्त परिवादीगण के बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस के बयानों का समर्थन करते हुए परिवादी पक्ष के साथ मारपीट करने तथा जाने तथा जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है।

**12.** परिवादी की ओर से न केवल परिवादपत्र में अपितु अपने साक्ष्य कथन बयान अन्तर्गत 223 बी.एन.एस.एस (धारा 200 द0प्र0सं0) में तथा परिवादी की ओर से परीक्षित कराये गये गवाह पी.डब्लू.–01 नरेश कुमार ने बयान अन्तर्गत 225 बी.एन.एस.एस (धारा 202 द0प्र0सं0) निगरानीकर्ता द्वारा परिवादीगण/विपक्षीगण संख्या 02 व 03 की माता के साथ मारपीट, गाली गलौंच व जान से मारने की धमकी दिये जाने के कथन किये गये हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया धारा 115(2), 351(2), 352 बी०एन०एस० के अपराध का प्रकटन होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दोनो पक्षों के मध्य एक मूल वाद संख्या 127/2024, चन्द्रसेन बनाम हरफूल आदि लम्बित है।

**13.** उपर्युक्त तथ्यों, परिवाद पत्र तथा परिवादी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी की माता के साथ मारपीट, गाली–गलौज तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने के आरोपों का पर्याप्त आधार विद्यमान है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, बल्कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपनी क्षेत्राधिकारिता का सही ढंग से प्रयोग करते हुए विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश मामले के तथ्यों एवं विधि अनुरूप है। तदनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 21.02.2026 इस स्तर पर खण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

दाण्डिक निगरानी संख्या 106 सन 2026 मनफूल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य निरस्त की जाती है। विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर द्वारा परिवाद संख्या 289 सन् 2025 चन्द्रसैन में पारित तलबी आदेश दिनांकित 21.02.2026 की पुष्टि की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्णय की एक प्रति प्रेषित की जाये। वर्तमान पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

**(संजय सिंह–I)**
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर

दिनॉक 03.08.2026,

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

**(संजय सिंह–I)**
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर

दिनॉक 03.08.2026,